

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 40]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2013/फाल्गुन 14, 1934	[रा.रा.रा.क्ष.दि. मं. 287
No. 40]	DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2013/PHALGUNA 14, 1934	[N.C.T.D. No. 287

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 5 मार्च, 2013

(हज समिती अधिनियम, 2002 की धारा 21(3) के अंतर्गत प्रकाशित)

सं. एफ.-1(हज)/एडीएम(मु.)/99/पाट.फाइल/317.—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.-1(हज)/एडीएम(मु.)/99/पाट.फाइल/87 दिनांक 21-1-2013 के द्वारा दिल्ली राज्य हज समिति के अधिनियम, 2002 (2002 के 35) की धारा के अंतर्गत सदस्यों को नियुक्त किया गया है।

हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 21(1) के अंतर्गत दिल्ली राज्य हज समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक दिनांक 28-1-2013 का सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में की गयी। जिसमें डॉ. परवेज मियां को सर्वसम्मति से दिल्ली राज्य हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित चुना गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
धर्म पाल, सचिव

REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 5th March, 2013

(Published under Section 21(3) of Haj Committee Act, 2002)

No. F.1(Haj)/Adm./HQ/99/Pt.file/317.—The members of the Delhi State Haj Committee constituted under the

909 DG/2013

provisions of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002) were notified *vide* Revenue Department Notification No. F.1(Haj)/Adm./HQ/99/Pt. file/87 dated January 21, 2013.

In terms of Section 21(1) of the Haj Committee Act, 2002, a meeting of the members of the newly constituted Delhi State Haj Committee was held on January 28, 2013 under the Chairmanship of the Secretary (Revenue) and in the said meeting, Dr. Parvez Mian, was elected unanimously and unopposed as the Chairman of the Delhi State Haj Committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DHARAM PAL, Secy

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मार्च, 2013

सं. पा. 5(54)/नीति-11/वैट/2012-13/1331-1343.—

जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16-1-2013 को पत्र संख्या डी-2/451/12/44/2007 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सूचित किया है कि यूरोपीय समुदाय (यूरोपीय आयोग) के प्रतिनिधिमंडल का नाम निक्सन मन्थि सहायक के अनुसार बदल कर "यूरोपीय संघ" कर दिया गया है, जो 13 दिसम्बर, 2007 को हस्ताक्षरित की गयी थी और 1 दिसम्बर, 2007 को प्रवृत्त हुई थी और जबकि शामकोय खरीद के संबंध में भूख्य संबंधित कर

(1)

की छुट/धन वापसी के लिये इस समय सुविधाएं संशोधन पूर्व यूरोपीय आयोग के नाम पर उपलब्ध हैं।

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ।

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की छठी अनुसूची के भाग-ख पर प्रविष्टि संख्या 13 पर "यूरोपीय आयोग" के स्थान पर नए शब्द "यूरोपीय संघ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रशान्त गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 5th March, 2013

No. F. 5(54)/Policy-II/VAT/2012-13/1331-1343.—

Whereas the Ministry of External Affairs, Government of

India vide letter No. D-II/451(1264)/2007 dated 6 has informed to the Government of National Territory of Delhi that name of delegation of Commission of the European Communities (Euro, Commission) has been changed to the delegation of European Union as per the treaty of Lisbon amendment, which was signed on 13th December, 2007 and which entered into force on 1st December, 2009. And whereas presently facilities for exemption/refund of VAT in respect of official purchase is available to the pre-revised name European Commission

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I, hereby make the following amendments in the sixth schedule of the said Act, namely:

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), in the entry at Sl. No. 13 in part-B "European Commission" shall be substituted by the new word "European Union".

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax